फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री जगन्नाथ** विपक्षी :–**श्री पन्नालाल**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– **10/25**

जीसीएमएस नम्बर :–2025/56

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.04.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 4 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस टी.आई. सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई. सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षीगण, प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं कर रहे है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 278 पर दर्ज आराजी नम्बर 1672/16 रकबा 0.7689 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 158 पर दर्ज आराजी नम्बर 1669/16 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा रूप से दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के पडौसी खातेदार हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का खनन कर भूमि के स्वरूप में परिवर्तन करने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के पडौसी खातेदार है इसलिये यदि विपक्षीगण स्वयं की भूमि के साथ–साथ प्रार्थी की भूमि में भी खनन कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। न्यायालय का मानना है कि विपक्षीगण को यदि प्रार्थी की भूमि में खनन कार्य करने से रोका जाता है तो इससे विपक्षीगण का किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नही होगा। चूंकि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। यदि विपक्षीगण को खनन कार्य से नहीं रोका जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। प्रकरण में दिनांक 05.02.2025 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल वाद के निस्तारण तक	

कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 278 पर दर्ज आराजी नम्बर 1672/16 रकबा 0.7689 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 158 पर दर्ज आराजी नम्बर 1669/16 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली